

राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला-अजमेर

राजस्व मुकदमा नं.

23/2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान

राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0 रघुनाथपुरा

बनाम

श्री उगमा पुत्र श्री रामकरण

जाति जाट नि. रघुनाथपुरा

निर्णय

दिनांक:- 09.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम रघुनाथपुरा के आराजी खसरा नंबर 177 किस्म गै.मु.पाल रकबा क्रमशः 0.0809 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ लगाकर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल मिसल हो। अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में अतिक्रमण करना स्वीकार किया एवं हटाने हेतु सहमत हुए। अतः प्रकरण निर्णीत जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी को ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी खसरा नंबर 177 किस्म गै.मु.पाल रकबा क्रमशः 0.0809 हैक्टेयर से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.30 का 50 गुणा 15/-रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।



(Handwritten Signature)

नायब तहसीलदार
रुपनगढ(अजमेर)
राजस्थान सरकार

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं.4 के पृष्ठ संख्या
29 पर रु. 15/- का मांग
कायमी की गई।
तहसील राजस्व लेखकार
82/9/22